



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

विवि.सीओ.आंसेस.सं S774 /04.03.001/2024-2025

May 7, 2024

Kareem Ansari
Yugantar, 3-4-142/6, Barkatpura
Hyderabad – 500 027

महोदय/महोदया,

Sir/Madam,

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
आवदेन पंजीकरण संख्या RBIND/R/P/24/01992**

**Application under Right to Information Act, 2005
- Registration No. RBIND/R/P/24/01992**

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत
सूचना प्राप्त करने के लिए अपना दिनांक 10 अप्रैल 2024 का
प्राप्त आवदेन देखें।

Please refer to your application received on April 10,
2024, seeking information under the Right to
Information Act, 2005.

2. संबंधित जानकारी अनुबंध में प्रस्तुत है।

2. The information is furnished in the Annex.

3. हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रथम
अपीलीय प्राधिकारी श्री विवेक दीप, कार्यपालक निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक, विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय
भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400001 हैं। इस
उत्तर के संबंध में आप यदि कोई अपील करना चाहें तो उसे
इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय
प्राधिकारी को भेज सकते हैं।

3. We would like to inform that the First Appellate
Authority in Reserve Bank of India is Shri Vivek
Deep, Executive Director, Reserve Bank of India,
Department of Regulation, Central Office Building,
Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai - 400001.
Appeal, if any, in respect of the above reply, should
be preferred within 30 days to the Appellate
Authority.

भवदीय/Yours faithfully,

दिपक चिखले

(दिपक चिखले)

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी/Central Public Information Officer

Encl: As above

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं/ 13वीं मंज़िल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400001
टेलीफोन/Tel No: 22661602, 22601000 फैक्स/Fax No: 022-2270 5691

RBIND/R/P/24/01992 – Kareem Ansari

❖ Reply

Specific information sought is not available with us.